

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ-07-41/2021/आ.प्र./ एक

भोपाल, दिनांक 06 जनवरी, 2022

प्रति,

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव,  
शासन के समस्त विभाग,  
समस्त संभागायुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिला कलेक्टर,  
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,  
मध्यप्रदेश।

विषय:- सीधी भर्ती के मामलों में ऐसे राज्य स्तरीय संवर्ग, जिनमें पदों की संख्या 01 से 08 है, के लिये मॉडल रोस्टर।

-0-

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को लोक सेवाओं एवं पदों में सीधी भर्ती के प्रक्रम में आरक्षण का प्रतिशत 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया है, जो कि दिनांक 08 मार्च, 2019 से प्रभावशील है। तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिनांक 02 जुलाई, 2019 से प्रभावशील है।

2/ जिन संवर्गों में 08 से ज्यादा पद है उनके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 04/01/2020 द्वारा जारी 100 बिंदु रोस्टर प्रभावशील रहेगा।


3/ विभिन्न स्थापनाओं के अधीन कुछ ऐसे संवर्ग हैं जिनमें स्वीकृत पदों की संख्या 08 अथवा उससे कम है (01 से 08 पद), उनके लिए राज्य शासन द्वारा मॉडल रोस्टर लागू किया जाता है जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट एक एवं दो अनुसार होगी।

4/ अतः सभी नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों/संवर्गों के लिये संलग्न परिशिष्ट-एक में दर्शाये अनुसार मॉडल रोस्टर संधारित किया जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारियों की सुविधा के लिये उक्त मॉडल रोस्टर को संधारित करने की प्रक्रिया का उदाहरण संलग्न परिशिष्ट-दो में दर्शाया गया है।

5/ राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी 02 से 05 पदों के लिए मॉडल रोस्टर के स्थान पर अब 01 से 08 पदों के लिए मॉडल रोस्टर लागू किया जा रहा है। इस मॉडल रोस्टर में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिनांक 08 मार्च, 2019 से एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिनांक 02 जुलाई, 2019 से दिया जाकर प्रविष्टियों की जाए। साथ ही पूर्व से प्रचलित 02 से 05 बिन्दु मॉडल रोस्टर पैरा-1 में उल्लेखित तिथियों के पूर्व प्रत्येक संवर्ग में हुई नियुक्तियों की प्रविष्टि अद्यतन की जाकर, पूर्व रोस्टर वहीं पर फ्रीज किया जाए।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

संलग्न - परिशिष्ट-एक एवं दो।



( विनोद कुमार )

अपर मुख्य सचिव  
मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग


पृ.क्रमांक एफ-07-41/2021/आ.प्र./ एक

भोपाल, दिनांक 06 जनवरी, 2022

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मंत्रालय, भोपाल।
3. माननीय मंत्री / राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र. शासन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
5. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर।
6. अध्यक्ष, म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
9. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
10. सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल।
11. सचिव, लोक सेवा आयोग मध्यप्रदेश, इंदौर।
12. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश।
13. महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
14. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।

15. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं. 309, निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल।
16. निदेशक, अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, फ्लेट नं0-103, तेजस्वी अपार्टमेंट, द्वितीय तल, द्वारकापुरी, पंजागुहा, हैदराबाद-5000821
17. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग / पिछड़ा वर्ग आयोग, भोपाल।
18. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
- 19 आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश भोपाल।
20. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सा.प्र.वि. अधीक्षण / अभिलेख शाखा, मंत्रालय |  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(कलिस्ता कुजूर)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

परिशिष्ट - एक

सीधी भरती हेतु 01 से 08 पदों का मॉडल रोस्टर  
(सीधी भरती से भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों के लिये)  
(केवल ऐसे संवर्गों के लिये जिनमें स्वीकृत पदों की संख्या 08 या उससे कम है)

संवर्ग में पदों की संख्या	प्रारंभिक नियुक्ति (Initial recruitment)	प्रतिस्थापन क्रमांक (Replacement No.)							
		पहला	दूसरा	तीसरा	चौथा	पांचवा	छठा	सातवां	आठवा
1	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
2	अन्य पिछडा वर्ग	अनुसूचित जनजाति	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनारक्षित	अन्य पिछडा वर्ग	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अधिक रूप से कमजोर वर्ग
3	अनुसूचित जनजाति	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनारक्षित	अन्य पिछडा वर्ग	अनुसूचित जनजाति	अधिक रूप से कमजोर वर्ग		
4	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनारक्षित	अन्य पिछडा वर्ग	अनुसूचित जनजाति	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			

5	अनुसूचित जाति	अनारक्षित	अन्य पिछडा वर्ग	अनुसूचित जनजाति	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग							
6	अनारक्षित	अन्य पिछडा वर्ग	अनुसूचित जनजाति	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग								
7	अन्य पिछडा वर्ग	अनुसूचित जनजाति	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग									
8	अनुसूचित जनजाति	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग										

**टीप - 1.** ऐसे संवर्गों, जिनमें पदों की संख्या 01 से 08 है, उक्त मॉडल रोस्टर की, "संवर्गों में पदों की संख्या" के कॉलम के नीचे दर्शाई प्रविष्टि क्रमांक 1 से पढ़कर अंतिम पद तक और इसके पश्चात् क्षतिज स्थिति में (Horizontally) क्षतिज पंक्ति (Horizontal row) की अंतिम प्रविष्टि तक, "L" के समान पढ़ा जायेगा.

**2.** संवर्ग के सभी पदों में प्रारंभिक नियुक्ति (Initial recruitment) के कालम में दर्शाये गये प्रवर्गों (Categories) के लिये चिन्हित (earmarked) किया जायेगा. यद्यपि पद की प्रारंभिक पूर्ति, चिन्हित प्रवर्ग (earmarked category) से की जायेगी, संवर्ग में किसी भी पद के विरुद्ध प्रतिस्थापन (replacement) उपरोक्त दर्शाये अनुसार, चक्रानुक्रम (rotation) से क्षतिज स्थिति में (Horizontal) संवर्ग के अंतिम पद के विरुद्ध किया जायेगा.

**अक्षय साधव**

मध्यप्रदेश शासन

समान्य प्रशासन विभाग

भारत-2023

सीधी भर्ती के मामलों में ऐसे राज्य स्तरीय संवर्ग जिनमें स्वीकृत पदों की संख्या 01 से 08 है, के लिए मॉडल रोस्टर संधारित करने के उदाहरण

**उदाहरण क्रमांक-01**

संवर्ग में स्वीकृत पदों की संख्या-02

उपरोक्त 02 पद प्रथम बार, 100 बिन्दु मॉडल रोस्टर के बिन्दु क्रमांक-01 से 02 में दर्शाये अनुसार निम्नानुसार भरे जायेंगे:-

पहला पद	अनारक्षित
दूसरा पद	अन्य पिछड़ा वर्ग

02. तत्पश्चात संवर्ग में पद रिक्त होने पर, उन्हें प्रतिस्थापन (Replacement) प्रक्रिया से, चक्रानुक्रम द्वारा (By Rotation) नीचे दर्शायी गयी प्रक्रिया से भरा जायेगा:-

पहला प्रतिस्थापन	अनुसूचित जनजाति
दूसरा प्रतिस्थापन	अनारक्षित
तीसरा प्रतिस्थापन	अनुसूचित जाति
चौथा प्रतिस्थापन	अनारक्षित
पाँचवा प्रतिस्थापन	अन्य पिछड़ा वर्ग
छठवाँ प्रतिस्थापन	अनुसूचित जनजाति
सातवाँ प्रतिस्थापन	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)

03. उपरोक्तानुसार, एक बार चक्रानुक्रम पूरा हो जाने पर भविष्य की रिक्तियाँ भी उपरोक्त चक्रानुक्रम से ही भरी जायेगी, यह एक नियत प्रक्रिया रहेगी।

**उदाहरण क्रमांक-02**

संवर्ग में स्वीकृत पदों की संख्या-03

उपरोक्त 03 पद प्रथम बार, 100 बिन्दु मॉडल रोस्टर के बिन्दु क्रमांक-01 से 03 में दर्शाये अनुसार निम्नानुसार भरे जायेंगे:-

पहला पद	अनारक्षित
दूसरा पद	अन्य पिछड़ा वर्ग
तीसरा पद	अनुसूचित जनजाति

02. तत्पश्चात संवर्ग में पद रिक्त होने पर, उन्हें प्रतिस्थापन (Replacement) प्रक्रिया से, चक्रानुक्रम द्वारा (By Rotation) नीचे दर्शायी गयी प्रक्रिया से भरा जायेगा:-

पहला प्रतिस्थापन	अनारक्षित
दूसरा प्रतिस्थापन	अनुसूचित जाति
तीसरा प्रतिस्थापन	अनारक्षित
चौथा प्रतिस्थापन	अन्य पिछड़ा वर्ग
पाँचवा प्रतिस्थापन	अनुसूचित जनजाति
छठवाँ प्रतिस्थापन	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)

03. उपरोक्तानुसार, एक बार चक्रानुक्रम पूरा हो जाने पर भविष्य की रिक्तियाँ भी उपरोक्त चक्रानुक्रम से ही भरी जायेगी, यह एक नियत प्रक्रिया रहेगी।

**उदाहरण क्रमांक-03**

संवर्ग में स्वीकृत पदों की संख्या-04

उपरोक्त 04 पद प्रथम बार, 100 बिन्दु मॉडल रोस्टर के बिन्दु क्रमांक-01 से 04 में दर्शाये अनुसार निम्नानुसार भरे जायेंगे:-

पहला पद	अनारक्षित
दूसरा पद	अन्य पिछड़ा वर्ग
तीसरा पद	अनुसूचित जनजाति
चौथा पद	अनारक्षित

02. तत्पश्चात संवर्ग में पद रिक्त होने पर, उन्हें प्रतिस्थापन (Replacement) प्रक्रिया से, चक्रानुक्रम द्वारा (By Rotation) नीचे दर्शायी गयी प्रक्रिया से भरा जायेगा:-

पहला प्रतिस्थापन	अनुसूचित जाति
दूसरा प्रतिस्थापन	अनारक्षित
तीसरा प्रतिस्थापन	अन्य पिछड़ा वर्ग
चौथा प्रतिस्थापन	अनुसूचित जनजाति
पाँचवा प्रतिस्थापन	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)

03. उपरोक्तानुसार, एक बार चक्रानुक्रम पूरा हो जाने पर भविष्य की रिक्तियाँ भी उपरोक्त चक्रानुक्रम से ही भरी जायेगी, यह एक नियत प्रक्रिया रहेगी।

**उदाहरण क्रमांक-04**

संवर्ग में स्वीकृत पदों की संख्या-05

उपरोक्त 05 पद प्रथम बार, 100 बिन्दु मॉडल रोस्टर के बिन्दु क्रमांक-01 से 05 में दर्शाये अनुसार निम्नानुसार भरे जायेंगे:-

पहला पद	अनारक्षित
दूसरा पद	अन्य पिछड़ा वर्ग
तीसरा पद	अनुसूचित जनजाति
चौथा पद	अनारक्षित
पाँचवा पद	अनुसूचित जाति

02. तत्पश्चात संवर्ग में पद रिक्त होने पर, उन्हें प्रतिस्थापन (Replacement) प्रक्रिया से, चक्रानुक्रम द्वारा (By Rotation) नीचे दर्शायी गयी प्रक्रिया से भरा जायेगा:-

पहला प्रतिस्थापन	अनारक्षित
दूसरा प्रतिस्थापन	अन्य पिछड़ा वर्ग
तीसरा प्रतिस्थापन	अनुसूचित जनजाति
चौथा प्रतिस्थापन	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)

03. उपरोक्तानुसार, एक बार चक्रानुक्रम पूरा हो जाने पर भविष्य की रिक्तियाँ भी उपरोक्त चक्रानुक्रम से ही भरी जायेगी, यह एक नियत प्रक्रिया रहेगी।

### उदाहरण क्रमांक-05

संवर्ग में स्वीकृत पदों की संख्या-06

उपरोक्त 06 पद प्रथम बार, 100 बिन्दु मॉडल रोस्टर के बिन्दु क्रमांक-01 से 06 में दर्शाये अनुसार निम्नानुसार भरे जायेंगे:-

पहला पद	अनारक्षित
दूसरा पद	अन्य पिछड़ा वर्ग
तीसरा पद	अनुसूचित जनजाति
चौथा पद	अनारक्षित
पाँचवा पद	अनुसूचित जाति
छठा पद	अनारक्षित

02. तत्पश्चात संवर्ग में पद रिक्त होने पर, उन्हें प्रतिस्थापन (Replacement) प्रक्रिया से, चक्रानुक्रम द्वारा (By Rotation) नीचे दर्शायी गयी प्रक्रिया से भरा जायेगा:-

पहला प्रतिस्थापन	अन्य पिछड़ा वर्ग
दूसरा प्रतिस्थापन	अनुसूचित जनजाति
तीसरा प्रतिस्थापन	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)

03. उपरोक्तानुसार, एक बार चक्रानुक्रम पूरा हो जाने पर भविष्य की रिक्तियाँ भी उपरोक्त चक्रानुक्रम से ही भरी जायेगी, यह एक नियत प्रक्रिया रहेगी।

### उदाहरण क्रमांक-06

संवर्ग में स्वीकृत पदों की संख्या-07

उपरोक्त 07 पद प्रथम बार, 100 बिन्दु मॉडल रोस्टर के बिन्दु क्रमांक-01 से 07 में दर्शाये अनुसार निम्नानुसार भरे जायेंगे:-

पहला पद	अनारक्षित
दूसरा पद	अन्य पिछड़ा वर्ग
तीसरा पद	अनुसूचित जनजाति
चौथा पद	अनारक्षित
पाँचवा पद	अनुसूचित जाति
छठा पद	अनारक्षित
सातवाँ पद	अन्य पिछड़ा वर्ग

02. तत्पश्चात संवर्ग में पद रिक्त होने पर, उन्हें प्रतिस्थापन (Replacement) प्रक्रिया से, चक्रानुक्रम द्वारा (By Rotation) नीचे दर्शायी गयी प्रक्रिया से भरा जायेगा:-

पहला प्रतिस्थापन	अनुसूचित जनजाति
दूसरा प्रतिस्थापन	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)

03. उपरोक्तानुसार, एक बार चक्रानुक्रम पूरा हो जाने पर भविष्य की रिक्तियाँ भी उपरोक्त चक्रानुक्रम से ही भरी जायेगी, यह एक नियत प्रक्रिया रहेगी।



**उदाहरण क्रमांक-07**

संवर्ग में स्वीकृत पदों की संख्या-08

उपरोक्त 08 पद प्रथम बार, 100 बिन्दु मॉडल रोस्टर के बिन्दु क्रमांक-01 से 08 में दर्शाये अनुसार निम्नानुसार भरे जायेंगे:-

पहला पद	अनारक्षित
दूसरा पद	अन्य पिछड़ा वर्ग
तीसरा पद	अनुसूचित जनजाति
चौथा पद	अनारक्षित
पाँचवा पद	अनुसूचित जाति
छठा पद	अनारक्षित
सातवाँ पद	अन्य पिछड़ा वर्ग
आठवाँ पद	अनुसूचित जनजाति

02. तत्पश्चात संवर्ग में पद रिक्त होने पर, उन्हें प्रतिस्थापन (Replacement) प्रक्रिया से, चक्रानुक्रम द्वारा (By Rotation) नीचे दर्शायी गयी प्रक्रिया से भरा जायेगा:-

पहला प्रतिस्थापन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग  
(ई.डब्ल्यू.एस.)

03. उपरोक्तानुसार, एक बार चक्रानुक्रम पूरा हो जाने पर भविष्य की रिक्तियाँ भी उपरोक्त चक्रानुक्रम से ही भरी जायेगी, यह एक नियत प्रक्रिया रहेगी।

*bwia*  
जयपुर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय